मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 13.03.2026 को आयोजित 193वीं बैठक का कार्यवृत्त

मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 193वीं बैठक महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 13 मार्च, 2026 (शुक्रवार) को समिति कक्ष, मुख्यालय में आयोजित की गई।

बैठक के प्रारंभ मे निदेशक (राजभाषा) ने महानिदेशक महोदय का स्वागत करते हुएसभी वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य सभी सदस्यों का अभिवादन किया। उन्होंने विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बारे में संक्षिप्त परिचय देकर अध्यक्ष महोदय से बैठक की कार्यवाही की अनुमति प्राप्त की।

इसके पश्चात पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बैठक की सभी मदों पर बिंदुवार चर्चा की गई।

मद संख्या 1	**विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 192वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि तथा बैठक में हुए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा।**

सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि पिछली तिमाही बैठक दिनांक 19.12.2025 को आयोजित की गई थी। सभी सदस्यों एवं शाखाओं को बैठक का कार्यवृत्त यथा-समय परिचालित कर दिया गया था। इस संबंध में किसी भी सदस्य की ओर से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। अतः कार्यवृत्त की पुष्टि के लिए अनुरोध किया गया। सर्वसम्मति से अध्यक्ष महोदय ने कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

उक्त बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मुख्यालय में अनुवाद अधिकारियों को तात्कालिक अनुवाद कार्य के लिए लेपटॉप की आपूर्ति के संबंध में महानिदेशक महोदय ने कहा कि कार्रवाई जारी है, इसके लिए अभी प्रतीक्षा करनी होगी।

मद संख्या 2	**दिनांक 31.12.2025 को समाप्त अवधि की हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा।**

सदस्य-सचिव ने शाखावार दंड-आरेख (बार-चार्ट) के माध्यम से मूल हिंदी पत्राचार में प्राप्त प्रतिशत और कमी आदि पर आंकड़े प्रस्तुत करते हुए **'क'**, **'ख'** तथा **'ग' क्षेत्र** के बारे में अलग-अलग चर्चा की।

जिन शाखाओं का पत्राचार प्रतिशत लक्ष्य से कम था, उनके लिए अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि वे अपने कार्य में राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाएं एवं मूल पत्राचार संबंधी लक्ष्य प्राप्त करें। सदस्य-सचिव ने कहा कि लक्ष्यानुरूप हिंदी पत्राचार न होने पर संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के समय कारण स्पष्ट करना कठिन हो जाता है, अतः राजभाषा से संबंधित दिशा-निदेशों का गम्भीरता से पालन किया जाए।

सदस्य-सचिव ने बताया कि दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के दौरान मुख्यालय द्वारा **'क'** क्षेत्र के साथ 97.20%, **'ख'** क्षेत्र के साथ 97.94% और **'ग'** क्षेत्र के साथ 93.58% पत्राचार हिंदी में किया गया। यद्यपि **'ग'** क्षेत्र के साथ लक्ष्यानुरूप पत्राचार किया गया तथापि यह नोट किया गया कि **'क'** एवं **'ख'** क्षेत्र के साथ पत्राचार 100% किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय ने ऐसी शाखाओं को हिंदी पत्राचार के लक्ष्य को प्राप्त करने के निदेश दिए। इस संबंध में सदस्य-सचिव ने भी कहा कि अनुवाद की आवश्यकता होने पर राजभाषा शाखा की सहायता ली जा सकती है, परंतु मूल पत्राचार हिंदी में ही किया जाए। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी व अधिकारी अपना 100 प्रतिशत कार्य हिंदी में ही करें।

इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय ने कहा कि नई श्रम संहिता लागू होने से आगामी वर्षों में लाभार्थियों की संख्या बढ़ने वाली है। बीमाकृत व्यक्तियों से संवाद के लिए हमें उनकी भाषा में सुविधाएं प्रदान करनी होंगी।

मद संख्या 3 फाइलों पर टिप्पणियां।

अवगत कराया गया कि आलोच्य तिमाही के दौरान फाइलों पर कुल 23003 टिप्पणियों में से 20316 टिप्पणियां हिंदी में लिखी गईं, जो 88.31% रहीं। सदस्य-सचिव ने बताया कि यद्यपि इस अवधि में हमने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, तथापि हमें आगे इसे और बढ़ाना भी है तथा इसे बनाए रखने के प्रति विशेष जागरूक रहना है। इसके साथ ही टिप्पणी लिखते समय ई-ऑफिस में हिंदी अनुवाद की सुविधा के संबंध में पुनः बताया गया।

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करें, फाइलों में टिप्पणियां हिंदी में लिखें।

[कार्रवाई—मुख्यालय के संबंधित अधिकारी]

मद संख्या 4 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन।

सदस्य-सचिव ने समिति को सूचित किया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में सामान्य आदेश, अनुदेश, परिपत्र, ज्ञापन आदि के अलावा अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, संविदा, करार, लाइसेंस, परमिट, निविदा प्रपत्र, नोटिस, संकल्प, नियम, संसद के पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात, प्रशासनिक रिपोर्टें जैसे 14 दस्तावेज सम्मिलित हैं। यह सूची पीपीटी के माध्यम से सदस्यों को दिखाई गई। यह भी अवगत कराया गया कि इस धारा के अंतर्गत सभी दस्तावेजों को हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में सदस्य-सचिव ने बताया कि प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मुख्यालय में आलोच्य तिमाही में धारा 3(3) के अंतर्गत सभी 895 दस्तावेज द्विभाषी जारी किए गए। सदस्य-सचिव ने सभी अधिकारियों से अनुरोध किया की धारा 3(3) का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित करें।

सदस्य-सचिव ने अनुरोध किया कि यदि कोई मशीनी अनुवाद का प्रयोग करता है, तो उसमें त्रुटियों की संभावना हो सकती है, जिन्हें सही कराने में राजभाषा शाखा की सहायता ली जानी चाहिए।

[कार्रवाई—मुख्यालय की संबंधित शाखाएं]

मद संख्या 5 वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में चर्चा।

सदस्य-सचिव ने अवगत कराया कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए अप्रैल माह से लागू वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2025-26 का वार्षिक कार्यक्रम दिनांक 29 अप्रैल, 2025 को बीमा आयुक्त महोदय के हस्ताक्षर से जारी किया जा चुका है। इसमें राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक है। इन्हें स्लाइड के माध्यम से सभी सदस्यों को दिखाया गया।

सदस्य-सचिव ने अवगत कराया कि मुख्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित है। वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार हमारा मूल हिंदी पत्राचार का लक्ष्य निम्नानुसार है-

'क' क्षेत्र से **'क'** क्षेत्र के साथ 100% मूल पत्राचार

'क' क्षेत्र से **'ख'** क्षेत्र के साथ 100% मूल पत्राचार

'क' क्षेत्र से **'ग'** क्षेत्र के साथ 70% मूल पत्राचार

राजभाषा संबंधी आवधिक बैठकों के आयोजन के लक्ष्यों के संबंध में चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने श्रम और रोजगार मंत्रालय में दिनांक 19.11.2025 को आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के संबंध में जानकारी मांगी। सदस्य-सचिव ने महानिदेशक महोदय को अवगत कराया कि उक्त बैठक में निगम की ओर से बीमा आयुक्त (राजभाषा) एवं निदेशक (राजभाषा) ने सहभागिता की थी। उन्होंने यह भी सूचित किया कि इसमें निगम में राजभाषा हिंदी के कार्य पर न केवल संतोष व्यक्त किया गया अपितु कुछ विषयों पर प्रशंसा भी की गई। अध्यक्ष महोदय ने इस पर सभी को बधाई दी तथा निगम मे हिंदी के कार्य में बढ़ोतरी करने का निदेश भी दिया।

[कार्रवाई—मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 6 जांच बिंदुओं पर चर्चा।

बैठक में जांच बिंदुओं की सूची प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदर्शित की गई। सदस्य-सचिव ने जांच बिंदुओं को सभी सदस्यों के समक्ष पढ़ा तथा विस्तार से एक-एक बिंदु पर चर्चा की। सदस्य-सचिव ने सूचित किया कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यालयों में जांच बिंदु स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यालय में जांच बिंदु अप्रैल 2025 को परिचालित किए गए।

सदस्य-सचिव ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि कुछ क.रा.बी.निगम अस्पतालों में अंग्रेजी में बनी मुहरों का प्रयोग हो रहा है। अध्यक्ष महोदय ने इसका संज्ञान लेते हुए नियम सम्मत मुहरों के ही प्रयोग का निदेश दिया।

[कार्रवाई–सभी क.रा.बी.निगम अस्पताल]

मद संख्या 7 राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 5 का अनुपालन।

सदस्य सचिव ने बताया कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं। इस बारे में उन्होंने राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम-5 के विषय में अवगत कराया। तिमाही के दौरान नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में कुल 11538 पत्र प्राप्त हुए और उनमें से 8510 पत्रों के उत्तर हिंदी में भेजे गए, जबकि 3028 पत्रों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं था। इस प्रकार, नियम 5 का उल्लंघन नहीं हुआ।

[कार्रवाई– मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 8 राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 3 का अनुपालन।

सदस्य-सचिव ने राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 3 पर चर्चा की। सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि **'क'** क्षेत्र में **'क'** और **'ख'** क्षेत्र से प्राप्त 7885 पत्रों में से 5688 पत्रों के उत्तर हिंदी में और 45 पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए, जबकि 2152 पत्रों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे।

शाखावार आंकड़े प्रस्तुत करते हुए नियम 3 के अनुपालन के प्रति सजग रहने के लिए अनुरोध किया गया। यह भी निवेदन किया गया कि 'क' और 'ख' क्षेत्रों के साथ पत्रोत्तर केवल हिंदी में ही किया जाए।

इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने जिन शाखाओं के द्वारा अनुपालन पूर्ण करने में कमी रह गई, उसके प्रति विशेष जागरूक रहने के निदेश दिए।

[कार्रवाई– मुख्यालय की सभी शाखाएं]

मद संख्या 9 प्रशिक्षण कार्यक्रम पर चर्चा।

सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि यथापेक्षित हिंदी भाषा, आशुलिपि, टकंण प्रशिक्षण अनिवार्य है और इसका लक्ष्य शीघ्र पूर्ण किया जाना है। मुख्यालय के 140 अंग्रेजी आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि/टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना शेष है।

सदस्य सचिव ने हिंदी टकंण प्रशिक्षण हेतु नामित कार्मिकों को नियमित रूप से भेजने के लिए सभी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करते हुए अनुपालन का अनुरोध किया। **अध्यक्ष महोदय ने टंकण प्रशिक्षण के लिए 6 माह की अवधि के बजाय पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्मिकों को नामित करने तथा भाषा प्रशिक्षण/सीखने के लिए ए.आई टूल्स तथा मोबाइल एप्लिकेशन का प्रयोग करने का सुझाव दिया।**

सदस्य सचिव ने यह भी कहा की मुख्यालय की सभी शाखाएं राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए विनिर्दिष्ट हैं। अतः सभी अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में करने का श्रम करें।

मद संख्या 10 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

- सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कहा कि राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए

शाखाधिकारियों को स्वयं ध्यान देना होगा।

- अध्यक्ष महोदय ने सभी को हिंदी में कामकाज करने के लिए द्विभाषी में फार्मेट आदि का प्रयोग करने का सुझाव दिया।
- अध्यक्ष महोदय ने सभी शाखाओं से यह सुनिश्चित करने को कहा कि वेबसाइट पर जारी होने वाले दस्तावेज आवश्यक रूप से द्विभाषी मे जारी हों।
- हिंदी में कार्य करने में क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने के बजाए सहज भाषा का प्रयोग करें।

समापन वक्तव्य में महानिदेशक महोदय ने कहा कि धीरे-धीरे लोगों का अंग्रेजी साहित्य से मोह भंग हो रहा है और लोग भारतीय हिंदी साहित्य में रुचि लेने लगे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी को हिंदी पुस्तकें/साहित्य पढ़ना चाहिए।

अंत में महानिदेशक महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई।

बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए निदेश, किए गए निर्णय तथा अपेक्षित कार्रवाइयां

	निदेश/निर्णय	कार्रवाई
1.	धारा 3(3) के दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी में ही जारी किए जाएं।	**मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम की सभी इकाइयां**
2.	कार्मिकों को यथापेक्षित हिंदी भाषा/टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण दिलाया जाए।	**मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम की सभी इकाइयां**
3.	हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं।	**मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम की सभी इकाइयां**
4.	मूल पत्राचार हिंदी में किया जाए तथा लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।	**मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम की सभी इकाइयां**
5.	प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी समस्त कार्यालयीन कार्य हिंदी में करें।	**मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम की सभी इकाइयां**
6.	अनुवाद की अपेक्षा मूल रूप से हिंदी में ही कार्य किया जाए।	**मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम की सभी इकाइयां**
7	राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर ध्यान देना।	**मुख्यालय के सभी शाखा अधिकारी, निगम की सभी इकाइयां**
8	'क' एवं 'ख' क्षेत्र में 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों से प्राप्त अंग्रेजी पत्रों के उत्तर भी हिंदी में ही दिए जाएं।	**मुख्यालय की सभी शाखाएं, निगम की सभी इकाइयां**
9.	वेबसाइट पर जारी होने वाले दस्तावेज आवश्यक रूप से द्विभाषी मे जारी हों।	**मुख्यालय की सभी शाखाएं**
10	सभी अस्पतालों में तैनात चिकित्सकों द्वारा प्रयोग की जा रही मोहरें आवश्यक रूप से द्विभाषी हों।	**निगम के सभी अस्पताल**

Digitally signed by
Sham Sunder Kathuria
Date: 30-03-2026
16:48:22

(श्याम सुंदर कथूरिया)
सदस्य-सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 13.03.2026 की 193 वीं बैठक में उपस्थित अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की सूची।

क्र.सं.	**अधिकारी का नाम सर्वश्री/सुश्री**	**पदनाम**	
1	अशोक कुमार सिंह	महानिदेशक	अध्यक्ष
2	सौरव कुमार दत्ता	मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी	सदस्य
3	डॉ गुंजन गुप्ता	चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
4	डॉ भैरवी देशमुख	चिकित्सा आयुक्त	सदस्य
5	प्रवीण कुमार मिश्रा	संयुक्त निदेशक	सदस्य
6	जय प्रकाश शर्मा	संयुक्त निदेशक	सदस्य
7	सविता आर. चन्द्र	संयुक्त निदेशक	सदस्य
8	टी के चौधरी	संयुक्त निदेशक	सदस्य
9	हरशरण मीणा	संयुक्त निदेशक	सदस्य
10	गिरीश कुमार केन	संयुक्त निदेशक	सदस्य
11	संजय कुमार	उप निदेशक	सदस्य
12	जानकी सिंह	उप निदेशक	सदस्य
13	शैलेंद्र कुमार मिश्र	उप निदेशक	सदस्य
14	गुरजिंदर सिंह	उप निदेशक	सदस्य
15	श्रेयश सिंह	उप निदेशक	सदस्य
16	राकेश कुमार	उप निदेशक	सदस्य
17	दीपक कुमार	उप निदेशक	सदस्य
18	मोहित कुमार	उप निदेशक	सदस्य
19	सुनीता अरोड़ा	उप निदेशक	सदस्य
20	काशी प्रसाद पाण्डेय	उप निदेशक	सदस्य
21	हर्ष नागपाल	उप निदेशक	सदस्य
22	आशीष शंकर	उप निदेशक	सदस्य
23	गोपेश उपाध्याय	सहा.निदेशक	सदस्य
24	ओम प्रकाश ठाकुर	सहा.निदेशक	सदस्य
25	नंदन कुमार	प्र.श्रे.लिपिक	प्रतिनिधि
26	रोजलीन हेमरोम	सहा.निदेशक (राजभाषा)	सदस्य
27	श्याम कुमार	संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	सदस्य
28	श्याम सुंदर कथूरिया	निदेशक (राजभाषा)	सदस्य सचिव

उपर्युक्त के अतिरिक्त राजभाषा शाखा के कार्मिक/अधिकारी भी बैठक में सहायतार्थ उपस्थित थे।